भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5480

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

राज्य के राजमार्गों का दोहरीकरण

5480. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक और सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत राज्य राजमार्ग (एसएच) संख्या 23 (बोटा से राजुर), एसएच-54, एसएच-65, एसएच-50 और एसएच-320 और अन्य प्रमुख राज्य की सड़कों के दोहरीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में जन-प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। सरकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकारों की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत राज्य की सड़कों के विकास के लिए कार्यों को भी मंजूरी देती है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य राजमार्ग (एसएच) संख्या 23 (बोटा से राजूर), एसएच-54, एसएच-65, एसएच-50 और एसएच-320 के दोहरीकरण के लिए किसी कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर, महाराष्ट्र में शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत अन्य प्रमुख राज्य सड़कों के सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीआरआईएफ योजना के तहत 25 करोड़ रुपये की लागत के तीन कार्यों को मंजूरी दी गई है।

*****